

**PAPER-III**  
**LAW**

**Signature and Name of Invigilator**

1. (Signature) \_\_\_\_\_  
(Name) \_\_\_\_\_
2. (Signature) \_\_\_\_\_  
(Name) \_\_\_\_\_

Roll No. 

--	--	--	--	--	--	--	--

  
(In figures as per admission card)

Roll No. \_\_\_\_\_  
(In words)

**D 5 8 1 1**

Time : 2 1/2 hours]

[Maximum Marks : 200

Number of Pages in this Booklet : 40

Number of Questions in this Booklet : 19

**Instructions for the Candidates**

- Write your roll number in the space provided on the top of this page.
- Answer to short answer/essay type questions are to be given in the space provided below each question or after the questions in the Test Booklet itself.

**No Additional Sheets are to be used.**

- At the commencement of examination, the question booklet will be given to you. In the first 5 minutes, you are requested to open the booklet and compulsorily examine it as below :
  - To have access to the Question Booklet, tear off the paper seal on the edge of this cover page. Do not accept a booklet without sticker-seal and do not accept an open booklet.
  - Tally the number of pages and number of questions in the booklet with the information printed on the cover page. Faulty booklets due to pages/questions missing or duplicate or not in serial order or any other discrepancy should be got replaced immediately by a correct booklet from the invigilator within the period of 5 minutes. Afterwards, neither the Question Booklet will be replaced nor any extra time will be given.**
- Read instructions given inside carefully.
- One page is attached for Rough Work at the end of the booklet before the Evaluation Sheet.
- If you write your Name, Roll Number, Phone Number or put any mark on any part of the Answer Sheet, except for the space allotted for the relevant entries, which may disclose your identity, or use abusive language or employ any other unfair means, you will render yourself liable to disqualification.
- You have to return the test booklet to the invigilators at the end of the examination compulsorily and must not carry it with you outside the Examination Hall.
- Use only Blue/Black Ball point pen.
- Use of any calculator or log table etc., is prohibited.

**परीक्षार्थियों के लिए निर्देश**

- पहले पृष्ठ के ऊपर नियत स्थान पर अपना रोल नम्बर लिखिए ।
- लघु प्रश्न तथा निबंध प्रकार के प्रश्नों के उत्तर, प्रत्येक प्रश्न के नीचे या प्रश्नों के बाद में दिये हुए रिक्त स्थान पर ही लिखिये ।  
**इसके लिए कोई अतिरिक्त कागज का उपयोग नहीं करना है ।**
- परीक्षा प्रारम्भ होने पर, प्रश्न-पुस्तिका आपको दे दी जायेगी । पहले पाँच मिनट आपको प्रश्न-पुस्तिका खोलने तथा उसकी निम्नलिखित जाँच के लिए दिये जायेंगे, जिसकी जाँच आपको अवश्य करनी है :
  - प्रश्न-पुस्तिका खोलने के लिए उसके कवर पेज पर लगी कागज की सील को फाड़ लें । खुली हुई या बिना स्टीकर-सील की पुस्तिका स्वीकार न करें ।
  - कवर पृष्ठ पर छपे निर्देशानुसार प्रश्न-पुस्तिका के पृष्ठ तथा प्रश्नों की संख्या को अच्छी तरह चेक कर लें कि वे पूरे हैं । दोषपूर्ण पुस्तिका जिनमें पृष्ठ/प्रश्न कम हों या दुबारा आ गये हों या सीरियल में न हों अर्थात् किसी भी प्रकार की त्रुटिपूर्ण पुस्तिका स्वीकार न करें तथा उसी समय उसे लौटाकर उसके स्थान पर दूसरी सही प्रश्न-पुस्तिका ले लें । इसके लिए आपको पाँच मिनट दिये जायेंगे । उसके बाद न तो आपकी प्रश्न-पुस्तिका वापस ली जायेगी और न ही आपको अतिरिक्त समय दिया जायेगा ।**
- अन्दर दिये गये निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें ।
- उत्तर-पुस्तिका के अन्त में कच्चा काम (Rough Work) करने के लिए मूल्यांकन शीट से पहले एक पृष्ठ दिया हुआ है ।
- यदि आप उत्तर-पुस्तिका पर नियत स्थान के अलावा अपना नाम, रोल नम्बर, फोन नम्बर या कोई भी ऐसा चिह्न जिससे आपकी पहचान हो सके, अंकित करते हैं अथवा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, या कोई अन्य अनुचित साधन का प्रयोग करते हैं, तो परीक्षा के लिये अयोग्य घोषित किये जा सकते हैं ।
- आपको परीक्षा समाप्त होने पर उत्तर-पुस्तिका निरीक्षक महोदय को लौटाना आवश्यक है और इसे परीक्षा समाप्ति के बाद अपने साथ परीक्षा भवन से बाहर न लेकर जायें ।
- केवल नीले/काले बाल प्वाइंट पेन का ही इस्तेमाल करें ।
- किसी भी प्रकार का संगणक (केलकुलेटर) या लॉग टेबल आदि का प्रयोग वर्जित है ।

**LAW**  
**विधि**

**PAPER – III**  
**प्रश्नपत्र – III**

**Note :** This paper is of **two hundred (200)** marks containing **four (4)** sections. Candidates are required to attempt the questions contained in these sections according to the detailed instructions given therein.

**नोट :** यह प्रश्नपत्र **दो सौ (200)** अंकों का है एवं इसमें **चार (4)** खण्ड हैं । अभ्यर्थी इनमें समाहित प्रश्नों के उत्तर अलग दिये गये विस्तृत निर्देशों के अनुसार दें ।

**SECTION – I**

**खण्ड – I**

**Note :** This section consists of **two** essay type questions of **twenty (20)** marks each, to be answered in about **five hundred (500)** words each. **(2 × 20 = 40 Marks)**

**नोट :** इस खण्ड में **बीस-बीस** अंकों के **दो** निबन्धात्मक प्रश्न हैं । प्रत्येक का उत्तर लगभग **पाँच सौ (500)** शब्दों में अपेक्षित है । **(2 × 20 = 40 अंक)**

1. Impact of Media Trial in Society.  
समाज पर मीडिया ट्रायल का प्रभाव ।

**OR / अथवा**

Need for a strong institution of Lokpal in India.  
भारत में सशक्त लोकपाल संस्था की आवश्यकता ।







2. 'Role of Directive Principles of State Policy in ensuring social and economic justice.'

सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने में राज्य नीति निर्देशक तत्त्वों की भूमिका ।

**OR / अथवा**

'Right to Information and Administrative Transparency.'

सूचना का अधिकार एवं प्रशासनिक पारदर्शिता ।

**OR / अथवा**

'Justification in respect of vicarious liability in criminal matters.'

आपराधिक मामलों में प्रतिनिधित्व दायित्व के सम्बंध में न्यायोचितता ।

**OR / अथवा**

'Achievements of the Cancun Summit on the climate change.'

मौसम परिवर्तन पर कैन्कुन शिखर सम्मेलन की उपलब्धियाँ ।

**OR / अथवा**

'The status of Refugees in International Law.'

अन्तर्राष्ट्रीय विधि में शरणार्थियों की प्रास्थिति ।

**OR / अथवा**

'Irretrievable breakdown of marriage.'

असमाधेय विवाह विघटन ।

**OR / अथवा**

Role of National Human Rights Commission in promotion of human rights education and awareness.

मानवाधिकार शिक्षा तथा जागरूकता की अभिवृद्धि में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका ।

**OR / अथवा**

'Retrenchment as a mode of termination of service.'

छंटनी सेवा से हटाने का एक माध्यम ।

**OR / अथवा**

Factual problems and legal solutions by judicial process under the Partnership Act.

भागीदारी अधिनियम के अन्तर्गत तथ्यात्मक समस्याएँ एवं विधिक प्रक्रिया द्वारा विधिक समाधान ।











## SECTION – II

### खण्ड – II

**Note :** This section contains **three (3)** questions from each of the electives/specializations. The candidate has to choose only **one** elective/specialization and answer all the **three** questions contained therein. Each question carries **fifteen (15)** marks and is to be answered in about **three hundred (300)** words. **(3 × 15 = 45 Marks)**

**नोट :** इस खण्ड में प्रत्येक ऐच्छिक इकाई/विशेषज्ञता से **तीन (3)** प्रश्न हैं । अभ्यर्थी को केवल एक ऐच्छिक इकाई/विशेषज्ञता को चुनकर उसी के तीनों प्रश्नों के उत्तर देने हैं । प्रत्येक प्रश्न **पन्द्रह (15)** अंकों का है व उसका उत्तर लगभग **तीन सौ (300)** शब्दों में अपेक्षित है । **(3 × 15 = 45 अंक)**

### Elective – I / विकल्प – I

#### Constitutional Law of India

#### भारतीय संविधान

3. In the light of the decision of the Supreme Court in *Keshavnand Bharati V. State of Kerala*, examine the Amending Power of the Parliament provided under Article 368 of the Constitution of India.

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत दी गई संसद की संशोधन शक्ति की जाँच कीजिये ।

4. ‘The Supreme Court of India’s decision in *T.N. Seshan V. Union of India* has brought out a new approach towards the functioning of Election Commission of India.’ – Comment.

टी.एन.शेषन बनाम भारत संघ में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय ने भारत के चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के बारे में नई सोच दी है । टीका कीजिये ।

5. Examine the distribution of legislative powers between the Union and the States ensured under the Constitution of India.

भारतीय संविधान के अन्तर्गत संघ एवं राज्यों के बीच विधायी शक्ति के वितरण का परीक्षण कीजिये ।

### OR / अथवा

### Elective – II / विकल्प – II

#### Administrative Law

#### प्रशासनिक विधि

3. On what grounds judicial review of administrative action can be exercised ? What are the conditions for the grant of quo-warranto by the court ?

किन आधारों पर प्रशासनिक कार्यों का न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है ? न्यायालय द्वारा किन कारणों से अधिकार पृच्छा की रिट जारी की जा सकती है ?

4. Explain the doctrine of 'bias' with the help of decided cases.  
पक्षपात के सिद्धान्त को निर्णीत मामलों की सहायता से समझाइये ।
5. Define Administrative Law and distinguish it from Constitutional Law.  
प्रशासनिक विधि को परिभाषित कीजिये तथा संवैधानिक विधि से अन्तर बताइये ।

**OR / अथवा**

**Elective – III / विकल्प – III**

**Legal Theory**

**विधिक सिद्धान्त**

3. Critically examine Austin's Theory of Law.  
विधि के सम्बंध में ऑस्टीन के सिद्धान्त का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये ।
4. Differentiate between :  
(a) Artificial person and Natural person  
(b) Possession and ownership  
इनमें अन्तर स्पष्ट कीजिये :  
(अ) कृत्रिम व्यक्ति एवं प्राकृतिक व्यक्ति  
(ब) आधिपत्य एवं स्वामित्व

5. Explain the 'Doctrine of precedent' as developed by Indian Judiciary.  
भारतीय न्यायपालिका द्वारा विकसित पूर्व-निर्णय के सिद्धान्त को समझाइये ।

**OR / अथवा**

**Elective – IV / विकल्प – IV**

**Criminal Law**

**आपराधिक विधि**

3. An offence of abetment is committed if the person helps the offender in screening of the crime after its commission. Discuss.  
दुष्प्रेरण का अपराध होता है जब कोई इसके कारित होने के उपरांत अपराध के परक्षेप में सहायता प्रदान करता है । विवेचना कीजिए ।
4. Explain the doctrine 'Nemo Debet-Proeadem Causa bis Vexari.'  
'किसी भी व्यक्ति को एक ही हेतुक के लिए दो बार तंग नहीं किया जाना चाहिए' सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए ।
5. Explain that wrongful confinement is a kind of wrongful restraint.  
स्पष्ट कीजिए कि सदोष परिरोध, सदोष अवरोध का एक प्रकार है ।

**OR / अथवा**

**Elective – V / विकल्प – V**

**Environment Law**

**पर्यावरण विधि**

3. “Both development and environment must go hand in hand. There should not be development at the cost of environment and vice versa but there should be development while taking due care, and ensuring the protection of the environment.” Elucidate this statement and examine the legal status of the concept of sustainable development. Refer to decided cases wherever appropriate.  
“विकास एवं पर्यावरण दोनों को साथ-साथ चलना चाहिए पर्यावरण की कीमत पर विकास एवं इसके विपरीत नहीं होना चाहिए अपितु पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखते हुए तथा सुनिश्चित करते हुए विकास होना चाहिए ।” इस कथन की व्याख्या कीजिए तथा संपोष्य विकास की अवधारणा की विधिक प्रास्थिति का परीक्षण कीजिए । निर्णित वादों का यथायोग्य उल्लेख कीजिए ।
4. In order to be more effective functionally, the Central Pollution Control Board and State Pollution Control Boards need organizational, restructuring and a redefined role and functions. In this context, discuss and examine the composition of these boards and their role and functions in the prevention and control of environmental pollution in India.  
‘केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यात्मक रूप से और प्रभावी होने के लिए इनको संगठनात्मक, पुनः संरचनात्मकता तथा पुनः परिभाषित भूमिका एवं कार्यों की आवश्यकता है ।’ इस संदर्भ में इन बोर्डों के संगठन तथा भारत में प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण में इनकी भूमिका तथा कार्यों की विवेचना एवं परीक्षण कीजिए ।
5. While referring to provisions of the Forest Conservation Act and the relevant case law critically examine the role of the apex judiciary in the development of forest jurisprudence in India.  
वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए भारत में जंगल विधि शास्त्र के विकास में शीर्षस्थ न्यायपालिका की भूमिका का परीक्षण कीजिए ।

**OR / अथवा**

**Elective – VI / विकल्प – VI**

**Public International Law**

**लोक अन्तर्राष्ट्रीय विधि**

3. Explain the concept of sovereignty and its relevance today.  
संप्रभुता की अवधारणा तथा आज के समय में इसकी प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए ।
4. ‘Extradition begins where asylum ends.’ Elucidate this statement with the help of case law.  
‘प्रत्यर्पण वहाँ से प्रारम्भ होता है जहाँ आश्रय समाप्त होता है ।’ निर्णयज विधि की सहायता से इस कथन को स्पष्ट कीजिए ।
5. While referring to purposes and principles of the UN Charter, assess the role of the Economic and Social Council in achieving of the objectives for which it has been created.  
संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों एवं सिद्धान्तों का उल्लेख करते हुए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की उन उद्देश्यों की प्राप्ति में, जिसके लिए इसकी स्थापना हुई है, भूमिका का मूल्यांकन कीजिए ।

**OR / अथवा**

**Elective – VII / विकल्प – VII**

**Family Law**

**पारिवारिक विधि**

3. State the grounds of divorce under the Hindu Marriage Act, 1955. Are there any special grounds on which the wife can seek divorce ? Discuss.  
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत विवाह-विच्छेद के आधार बताइये । क्या पत्नी द्वारा विवाह-विच्छेद पाने के विशेष आधार हैं ? विवेचन कीजिये ।
4. Discuss the rules relating to the natural guardianship of a Hindu minor. What are the powers of a natural guardian ? Discuss with the help of the relevant case law.  
हिन्दू अवयस्क की प्राकृतिक संरक्षता के सम्बंध में नियमों की चर्चा कीजिये । प्राकृतिक संरक्षक के क्या अधिकार हैं ? सम्बंधित निर्णय विधि को समझाइये ।
5. Critically examine the grounds of divorce available to wife under the dissolution of Muslim Marriage Act, 1939.  
मुस्लिम महिला को मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 के अधीन प्राप्य आधारों का आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए ।

**OR / अथवा**

**Elective – VIII / विकल्प – VIII**

**Human Rights**

**मानवाधिकार**

3. Critically analyse the contribution of United Nations in the development of Human Rights.  
मानवाधिकारों के विकास में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए ।
4. To what extent rights of minorities and refugees are being effectively implemented and protected by Human Rights Law ? Discuss.  
अल्पसंख्यकों एवं शरणार्थियों के अधिकारों का मानवाधिकार विधि द्वारा किस सीमा तक प्रभावकारी रूप से क्रियान्वयन हो रहा है ? विवेचना कीजिए ।
5. How far India is able to implement Human Rights ? What more is needed in this regard ? Discuss.  
मानवाधिकारों के क्रियान्वयन में भारत कहाँ तक समर्थ है ? इस सम्बन्ध में और क्या करने की आवश्यकता है ? विवेचना कीजिए ।

**OR / अथवा**

**Elective – IX / विकल्प – IX**

**Torts**

**अपकृत्य**

3. Describe the nature and definition of law of torts with the help of decided cases.  
निर्णीत वादों की सहायता से अपकृत्य की परिभाषा एवं प्रकृति को समझाइये ।
4. Describe libel and slander as types of defamation. Point out the difference between the Indian Law and English law in this regard.  
मानहानि के प्रकार के रूप में अपवचन एवं अपलेख को समझाइये । इस सम्बंध में भारतीय एवं अंग्रेजी विधि में अन्तर बताइये ।

5. Differentiate between :
- (a) Inevitable Accident and Act of God.
  - (b) Sovereign and non-sovereign functions.
  - (c) Public nuisance and private nuisance.

इनमें अन्तर बताइये :

- (अ) अवश्यम्भावी घटना एवं दैवी कृत्य
- (ब) सम्प्रभु एवं गैर-सम्प्रभु कार्य
- (स) लोक अपदूषण एवं निजी अपदूषण

**OR / अथवा**

**Elective – X / विकल्प – X**

**Commercial Law**

**वाणिज्यिक विधि**

3. Critically examine judicial process relating to nature and essentials of partnership.  
भागीदारी की प्रकृति एवं आवश्यक तत्त्वों के सम्बंध में न्यायिक प्रक्रिया की आलोचनात्मक चर्चा कीजिये ।
4. Critically assess fiduciary role of Directors in context of their duties towards company, shareholders and creditors.  
कम्पनी, अंश धारक तथा ऋणदाता के प्रति कर्तव्यों के परिपेक्ष्य में निदेशकों के वैश्वासिक भूमिका की आलोचनात्मक चर्चा कीजिये ।
5. Explain rights, duties and liabilities of various parties to a negotiable instrument.  
पराक्रम्य लिखत के विभिन्न पक्षकारों के अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्वों को समझाइये ।

























7. Advantages of legislation over other sources of law.  
विधि के अन्य स्रोतों की तुलना में विधायन के लाभ ।









12. Importance of UN General Assembly Resolutions as a source of International Law.  
अन्तर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्तावों का महत्त्व ।

13. Discuss the Hindu wife's right to claim maintenance.  
हिन्दू पत्नी के भरण-पोषण पाने के अधिकार की चर्चा कीजिए ।



14. The role of Human Rights to achieve freedom from poverty.  
गरीबी से मुक्ति पाने में मानवाधिकार की भूमिका ।



is why the suppression of vice is as much the law's business as the suppression of subversive activities. The rulers of society must act on what their society believes to be right.

मान्यता प्राप्त नैतिकता समाज के अस्तित्व के लिए उतनी आवश्यक है जितनी कि एक मान्यता प्राप्त सरकार । यद्यपि अनैतिकता का कोई विशेष कृत्य दूसरों को क्षतिग्रस्त या संकटग्रस्त अथवा भ्रष्ट नहीं बना सकता, यह विनिश्चयात्मक नहीं है क्योंकि हमें आचरण को नैतिक संहिता पर उसके प्रभाव से अलग नहीं देखना चाहिए । यह उन महान नैतिक सिद्धान्तों को जिस पर समाज आधारित है संकटस्थ कर सकता है । इस अर्थ में भंग सम्पूर्ण समाज के विरुद्ध एक अपराध है । इस कारण से दुर्गुण का दमन उतना ही विधि का कार्य है जितना विध्वंसक गतिविधियों का दमन । समाज के शासकों को उस पर जिसे समाज सही होने का विश्वास करता है, कार्य करना चाहिए ।

15. Is recognised morality necessary for society ? Why ?

क्या मान्यता प्राप्त नैतिकता समाज के लिए आवश्यक है ? क्यों ?



18. What is business of law ?  
विधि का कौन सा कार्य है ?

19. What is obligation of rulers towards their society ?  
समाज के प्रति शासकों का क्या दायित्व है ?

**Space For Rough Work**

<b>FOR OFFICE USE ONLY</b>	
Marks Obtained	
Question Number	Marks Obtained
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	

Total Marks Obtained (in words) .....

(in figures) .....

Signature & Name of the Coordinator .....

(Evaluation)

Date .....